जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
खनिज भवन, उद्योग भवन परिसर तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष 0141–5192134

प्रेस नोट–30 जुलाई, 2014

जयपुर मेट्रो पुलिस द्वारा जयपुर मेट्रो के पिलर्स व अन्य ढाचों के विरूपण के विरूद्ध अभियान

जयपुर 30 जुलाई। जयपुर मेट्रो पुलिस द्वारा मगंलवार 29 जुलाई को एक बडी कार्यवाही करते हुए जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के पिलर्स व अन्य ढाचों के विरूपण के विरूद्ध एक अभियान चलाया गया। जयपुर मेट्रो पुलिस के डीसीपी श्री संदीप सिंह चौहान के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई जिसके द्वारा मेट्रो रेल पिलर्स व अन्य ढाचों पर लगे विज्ञापनों/पोस्टरों के विरूद कार्यवाही की गई। मेट्रो रेल थाना द्वारा चैकिगं पर निम्न विज्ञापनों पोस्टरों के लगे होने पर संचालकों व प्रचारकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही मुकदमें दर्ज कर कार्यवाही की जा रहीं है:–

1. श्री अनिल कुमार मीणा पूर्व महासचिव राज. विश्व विद्यालय जयपुर।
2. संचालक कोचिगं क्लासेज 53–54 देवी नगर न्यू सागानेर सोडाला जयपुर।
3. संचालक AEC अंग्रजी बोलना सीखीये।
4. श्री संजय कुमार यादव किरण टिफिन सेन्टर।
5. श्री पुन्नु कुरेशी उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आर्दश नगर जयपुर।
6. व्यावस्थापक पारा माऊण्ड कोचिंग सेन्टर।
7. संचालक दवाई पेकिंग कम्पनी।
8. अजित सिंह जोधासर।
9. दवाई कम्पनी जयपुर।
10. कैनरा बैंक।
11. संचालक जेन्टल भर्ती जयपुर।
12. हिमालय कम्पनी।
13. अरिहन्त बैग्लस।

उपरोक्त सभी विज्ञापनों पोस्टर धारकों के खिलाफ मेट्रो पिलर्स पर सार्वजनिक सम्पत्ति पर अपने प्रचार–प्रसार के लिऐ पोस्टर लगाने पर धारा–3 राजस्थान सम्पति विरूपण–निवारण अधिनियम 2006 के तहत मेट्रो रेल थाने में मुकदमें दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

––